प्रेस नोट

!!CRACKDOWN IN KANPUR DEHAT!!

थाना सिकन्दरा **दिनांक- 15.10.2025**

- **थाना सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत, संदलपुर मार्ग पर रूटीन चेकिंग के दौरान भोगनीपुर क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलाह-कारतूस, 01 दोपहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट), 650 रुपये नगद व 01 चैन का टुकड़ा (पीली धातु) बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 13.10.2025 को दोपहर थाना भोगनीपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका गली पुखरांया में एक महिला के गले से सोने की चैन छीनकर भागने की घटना कारित की गयी थी। उक्त घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोगानीपुर पर मु0अ0सं0 350/25 धारा 304(2) बीएनएस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 14/15.10.2025 की रात्रि में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा संदलपुर मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी कि तभी मंगलपुर की तरफ से बिरहाना चौराहा सिकन्दरा की तरफ आ रहा एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार युवक आता दिखायी दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस टीम को देखते ही वह युवक मोटरसाइकिल सहित भागने का प्रयास करने लगा तथा पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किए जाने पर, वह गुरदही पुलिया के बायीं साईड बम्बी की पटरी पर मोडकर तेजी से भागना चाहा तो उसकी मोटरसाईकिल फिसल कर गिर गयी और युवक द्वारा अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया तो पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये फायरिंग की गयी जिससे युवक के बायें पैर में 01 गोली लगी व व्यक्ति को हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से नाम-पता व भागने का कारण पूछने पर उसने अपना नाम संजय वर्मा पुत्र सूरज प्रसाद वर्मा निवासी जैतीपुर रोड घाटमपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर मूल निवास हमीरपुर बिद्यामन्दिर के सामने थाना कोतवाली हमीरपुर जनपद हमीरपुर उम्र करीब 35 वर्ष बताया तथा भागने के सम्बन्ध में बताया कि वह दिनांक 13.10.2025 को थाना भोगनीपुर क्षेत्रान्तर्गत पुखंराया नामक स्थान पर 01 चैन स्नैचिंग की घटना कारित की थी। इसी अपराध के चलते पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से मैं भाग रहा था। थाना भोगनीपुर से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस घटना के सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0-351/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर व 02 खोखा कारतूस 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व बरामद 650 रूपये नगद व 01 मोटरसाइकिल ग्लैमर रंग लाल (बिना नम्बर प्लेट) व 01 चैन का टुकड़ा पीली धातु मौके से बरामद हुए। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकन्दरा भेजा गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0 171/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. संजय वर्मा पुत्र सूरज प्रसाद वर्मा निवासी जैतीपुर रोड घाटमपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर मूल निवास हमीरपुर विद्यामन्दिर के सामने थाना कोतवाली हमीरपुर जनपद हमीरपुर उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी-

01 तमंचा 12 बोर व 02 खोखा कारतूस 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व बरामद 650 रूपये नगद व 01 मोटरसाइकिल ग्लैमर, रंग लाल बिना नम्बर प्लेट व 01 चैन का टुकड़ा पीली धातु बरामद।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि साहब दिनांक 13.10.2025 दोपहर में चौकी पुखरांया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात नगर पालिका वाली गली से एक महिला के गले से सोने की चैन छीनकर भाग गया था। मुझे लगा कि आपको हमारे बारे में जानकारी हो गई है, इसलिए पुलिस को देखकर व खुद के रोके जाने पर भागने का प्रयास किया था, कि आप लोगों ने पकड़ लिया है। रास्ते में तमाम तरह के खतरों से निपटने के लिये हम अपने पास तमंचे-कारतूस लिये हुए थे।

1. अभियुक्त संजय वर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

(1) मु0अ0सं0 171/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात

(2) मु0अ0सं0 351/2025 धारा 304 (2) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना सिकन्दरा पुलिस